

शमन शुल्क सूची-2023

MoRTH, भारत सरकार द्वारा MV ACT-1988 के तहत म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-71-2021-आठ दि.06.03.2023 के द्वारा राज्य में मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन के तहत लिये जाने वाले शमन शुल्क की नवीन दरें
(नवीन शमन शुल्क सुची Prepared by थाना यातायात-जिला मन्दसौर)

क्रं.	अपराध विवरण	धारा	अव्यावसायिक	व्यावसायिक		
				LMV	MMV	HMV
1	बिना लायसेंस वाहन चलाना	3/181	1000/-	5000/-	5000/-	5000/-
2	नाबालिक द्वारा वाहन चलाना	4/181	1000/-	5000/-	5000/-	5000/-
3	लर्निंग लायसेंस, नान प्रोफेशनल लायसेंस	3/182	1000/-	3000/-	3000/-	3000/-
4	अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने देना/ नाबालिग/ बिना लायसेंस	5/180	1000/-	3000/-	3000/-	3000/-
5	बिना अथवा निलंबित रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना	39/192	2/3 W-2000/-	3000/-	5000/-	5000/-
6	रजिस्ट्रेशन में निहित शर्तों का उल्लंघन	52/192	Car-3000/-			
7	फिटनेस न होना(यात्रीयान में)	56/192	-	2000/-	3000/-	5000/-
8	फिटनेस न होना(मालयान में)	56/192	-	2000/-	3000/-	5000/-
9	मालयान में सवारी ढोना	66/192		न्यायालय द्वारा निराकरण		
10	बिना परमिट/ परमिट शर्तों का उल्लंघन	66/192(A)	3 W-2000/-	5000/-	10000/-	10000/-
11	पात्रता से अधिक सवारी ढोना	66/194(A)		200/- प्रति व्यक्ति		
12	तेज गति से वाहन चलाना	112/183(1)	1000/-	3000/-	3000/-	3000/-
13	रजिस्ट्रेशन/परमिट में प्रदर्शित क्षमता से अधिक वजन होना (ओव्हरलोड वाहन)	113/194(1)	-	न्यूनतम 10,000 एवं लदान सीमा से अधिक भार पर 1000/- प्रतिटन (अतिरिक्त भार उतरवाने के दायित्व सहित)		
14	वजन कराने से इंकार करना	114/194(2)	-	20000	20000	20000
15	प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाना (नो इंट्री)	115/194(2)	-	5000/-	5000/-	5000/-
16	वन-वे में वाहन चलाना	116/177	500/-	500/-	500/-	500/-
17	नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना	117/177	500/-	500/-	500/-	500/-
18	चालक द्वारा यातायात संकेतों का उल्लंघन	119/177	500/-	500/-	500/-	500/-
19	वाहन चलाते समय चालक द्वारा यातायात संकेत न देना	121/177	500/-	500/-	500/-	500/-
20	खतरनाक हालत में वाहन को खड़ा करना	122/177	500/-	500/-	500/-	500/-
21	पायदान पर सवारी बैठाना	123/177	-	500/-	500/-	500/-
22	बिना टिकट यात्रा करना	124/178(1)	-	500/-	500/-	500/-
23	कंडेक्टर द्वारा टिकट न देना	124/178(2)	-	500/-	500/-	500/-
24	यात्रियों को ले जाने से इन्कार (टू व्ही / ऑटो रिक्शा)	124/178(3 A)	50 टेक्सी मो.सा. 50 टेक्सी ऑटो	500/-	500/-	500/-
25	चालक द्वारा बगल में सवारी बैठाना	125/177	-	500/-	500/-	500/-
26	असुरक्षित दशा में वाहन खड़ा पाये जाने पर	126/177	500/-	500/-	500/-	500/-
27	दो पहिया वाहन पर तीन व्यक्ति बैठना	128/177	500/-	-	-	-
28	दो पहिया वाहन पर चालक का हेलमेट नहीं पहनना	129/194(D)	300/-	-	-	-
29	चालक द्वारा मौके पर लायसेंस प्रस्तुत न करना	130/177(1)	500/-	500/-	500/-	500/-
30	कंडेक्टर द्वारा मौके पर लायसेंस प्रस्तुत न करना	130/177(2)	-	-	500/-	500/-
31	चालक / मालिक द्वारा कागजात प्रस्तुत न करने पर	130/177(3)	500/-	500/-	500/-	500/-
32	वर्दी धारी पुलिस के रोकने पर न रुकना	132/177(1)	500/-	500/-	500/-	500/-
33	वाहन का वैध बीमा न होना	146/196	2 W- 1000/- Car-3000/-	3000/-	5000/-	5000/-
34	प्राधिकारी के आदेशों की अवज्ञा/ बाधा डालना	179(1)	500/-	2000/-	2000/-	2000/-
35	प्राधिकारी को जानकारी देने से इन्कार करना	179(2)	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-
36	खतरनाक ढंग से वाहन चलाना	184	1500/-	3000/-	3000/-	3000/-

37	चालक द्वारा किसी नशे की हालत में वाहन चलाना	185	न्यायालय द्वारा निराकरण			
38	मानसिक / शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए वाहन चलाना	186	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-
39	अनुमति के बिना गति परीक्षण/ वाहन दौड़ में शामिल होना	189	5000/-	5000/-	5000/-	5000/-
40	यान स्वामी द्वारा अधिनियम का उल्लंघन कर यान में परिवर्तन	182 A (4)	5000/- प्रति परिवर्तन			
41	आपातकालीन वाहन (एम्बुलेंस/पुलिस/फायर ब्रिगेड/ अन्य आवश्यक शासकीय) को अबाध गुजरने में बाधा डालना	194E	10000/-	10000/-	10000/-	10000/-
42	वाहन के साथ अनाधिकृत हस्तक्षेप करना	198	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-

Central Motor Vehicle rules 1989

क्रं.	अपराध विवरण	धारा	अव्यावसायिक	व्यावसायिक		
1	चालक द्वारा धूम्रपान	21(14)/177	500/-	500/-	500/-	500/-
2	ऑटो, टेक्सी द्वारा अधिक किराया लेना	21(23)/177	-	500/-	500/-	500/-
3	वाहन चलाते समय मोबाईल से बात करना	21(25)/184(C)	1000/-	1000/-	3000/-	3000/-
4	वाहन के दायें, बायें तरफ बॉडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित न होना	50(K)/177	-	500/-	500/-	500/-
5	वाहन के अंदर चालक के बायें उपर यात्रियों के सामने मुखकर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित न होना	50(X)/177	-	500/-	500/-	500/-
6	नम्बर प्लेट विधिवत् न होना Format	51/177	500/-	500/-	500/-	500/-
7	वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित न होना	77/177	500/-	500/-	500/-	500/-
8	खराब टायर	94/177	-	500/-	500/-	500/-
9	मजबूत ब्रेक का न होना	96/177	500/-	500/-	500/-	500/-
10	वाहन में काली फिल्म लगा होना (50% Visibility)	100(2)/177	(कार-500/-)	500/-	500/-	500/-
11	वाइपर न होना	101/177	(कार-500/-)	500/-	500/-	500/-
12	दिशा सूचक / स्टॉप लाइट (इंडिकेटर) न होना	102/177	500/-	500/-	500/-	500/-
13	दिशा सूचक यंत्र वाहन के अंदर खराब होना	103/177	500/-	500/-	500/-	500/-
14	चार पहिया वाहनों के आगे/पिछे रेडियम रिफ्लेक्टर न होना	104/177	500/-	500/-	500/-	500/-
15	हेड लाइट खराब/ रात्रि में बन्द अवस्था में वाहन चलाना	105/177	500/-	500/-	500/-	500/-
16	वाहन पर लाल, पीली, सफेद या नीली लाइट का प्रयोग अवैध रूप से करना	108/177	(कार-500/-)	500/-	500/-	500/-
17	पार्किंग लाइट खराब होना या प्रयोग ना करना	109/177	(कार-500/-)	500/-	500/-	500/-
18	परिवहन यान में स्पीड गवर्नर न होना, खराब होना, सील टूटी होना	118/177	-	500/-	500/-	500/-
19	वाहन द्वारा वायु प्रदुषण	115/190(2)	1000/-	5000/-	5000/-	5000/-
20	हार्न द्वारा ध्वनि प्रदुषण	119/190(2)	1000/-	5000/-	5000/-	5000/-
21	सायलेंसर द्वारा ध्वनि प्रदुषण	120/190(2)	1000/-	5000/-	5000/-	5000/-
22	चालक एवं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनना	138(3)/194(B)	(कार-500/-)	500/-	500/-	500/-
23	आम रोड़ पर ठेला गाड़ी दुकान लगाकर यातायात बाधित करना	22RRR/177	संबंधित पर 500/-			

MP Motor Vehicle Rules 1994

क्रं.	अपराध विवरण	धारा	अव्यावसायिक	व्यावसायिक		
1	ड्रायवर बिना बैच के पाया जाना	8/177	-	500/-	500/-	500/-
2	ड्रायवर बिना वर्दी के पाया जाना	9/177	-	500/-	500/-	500/-
3	ड्रायवर बिना नैमप्लेट	10/177	-	500/-	500/-	500/-
4	चालक/परिचालक यात्रियों को सुरक्षित जगह पर उतरेगा/चढ़ायेगा	17(1)(3)/177	-	500/-	500/-	500/-
5	चालक द्वारा सावधानी पूर्वक वाहन चलाना (ब्रेक, गैर लगाना)	17(1)(4)/177	-	500/-	500/-	500/-
6	चालक द्वारा धूम्रपान करना	17(1)(5)/177	-	500/-	500/-	500/-
7	चालक द्वारा यात्री से दुर्व्यवहार	17(1)(6)/177	-	500/-	500/-	500/-
8	चालक साफ वर्दी पहनेगा	17(1)(7)/177	-	500/-	500/-	500/-
9	वाहन में खराबी आने पर यात्री को किराया वापस करेगा	17(1)(11)/177	-	500/-	500/-	500/-
10	वैध किराये से ज्यादा बलपूर्वक लेना	18(1)(10)/177	-	500/-	500/-	500/-
11	परिचालक(कंडक्टर) का लायसेंस न होना	29/182	-	500/-	500/-	500/-

12	परिचालक(कंडक्टर) द्वारा धूम्रपान करना	32(1)(2)/177	-	500/-	500/-	500/-
13	परिचालक(कंडक्टर) द्वारा यात्री से दुर्व्यवहार	32(1)(3)/177	-	500/-	500/-	500/-
14	परिचालक(कंडक्टर) साफ सुथरी वर्दी पहनेगा	32(1)(4)/177	-	500/-	500/-	500/-
15	परिचालक(कंडक्टर) द्वारा वाहन में बैठक क्षमता से अधिक सवारी बिठाना	32(1)(8)/177	-	500/-	500/-	500/-
16	परिचालक(कंडक्टर) वैद्य भाड़ा देने वाले व्यक्ति को पर्याप्त कारण के बिना ले जाने से इन्कार करना	32(1)(9)/177	-	500/-	500/-	500/-
17	परिचालक(कंडक्टर) किसी यात्री को वैद्य भाड़ा लेने के बाद नीयत स्थान तक न ले जाना	32(1)(12)/177	-	500/-	500/-	500/-
18	परिचालक(कंडक्टर) का कर्तव्य पर नशीले पेय या औषधि के प्रभाव में होना	32(1)(23)/177	-	500/-	500/-	500/-
19	यात्री द्वारा परिचालक(कंडक्टर) से शिकायत पुस्तिका मांगने पर इन्कार	32(1)(24)/177	-	500/-	500/-	500/-
20	परिचालक का खतरनाक/ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की अनुज्ञा देना	32(1)(32)/177	-	500/-	500/-	500/-
21	परिचालक(कंडक्टर) बिना वर्दी के पाया जाना	36/177	-	500/-	500/-	500/-
22	परिचालक(कंडक्टर) बिना नैम प्लेट के पाया जाना	37/177	-	500/-	500/-	500/-
23	परिचालक(कंडक्टर) बिना बिल्ला के पाया जाना	38/177	-	500/-	500/-	500/-
24	मालयान में पशु का परिवहन करना	81/177	-	500/-	500/-	500/-
25	किसी प्राधिकृत कर्मचारी को कर्तव्य निष्पादन में बाधा डालना	91(1)(1)/177	-	500/-	500/-	500/-
26	ऐसा भारी सामान रखना जिससे अन्य यात्री को बाधा/असुविधा/पेशानी हो	91(1)(2)/177	-	500/-	500/-	500/-
27	विधिपूर्ण कारण के बिना आरक्षित सीट पर कब्जा कर लेता है	91(1)(4)/177	-	500/-	500/-	500/-
28	ऐसी पोशाक या वस्त्र पहनना जिससे बैठने के स्थान में किसी अन्य यात्री को क्षोभ/घृणा/असुविधा हो	91(1)(9)/177	-	500/-	500/-	500/-
29	वैद्य किराया का भुगतान करने से इन्कार करना	91(2)(1)/177	-	500/-	500/-	500/-
30	यात्री प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांग करने पर टिकिट दिखायेगा	91(2)(2)/177	-	500/-	500/-	500/-
31	परिचालक द्वारा महिला यात्री से व्यवहार- जिससे उसे संत्रास या क्षोभ हो	91(2)(4)/177	-	500/-	500/-	500/-
32	परिचालक द्वारा अपशब्दपूर्ण भाषा का प्रयोग	91(2)(5)/177	-	500/-	500/-	500/-
33	यान में धूम्रपान /पान की पीक थूकना	91(2)(7)/177	-	500/-	500/-	500/-
34	परिचालक स्टैण्ड के अतिरिक्त कहीं यात्री को चढ़ायेगा/उतरेगा नहीं	91(2)(8)/177	-	500/-	500/-	500/-
35	यात्री गाड़ियों में शिकायत पुस्तिका का न होना	95/177	-	500/-	500/-	500/-
36	यात्री ऑटो रिक्शा में मीटर की सील टूटी होना	107/177	-	500/-	500/-	500/-
37	परिवहन यान पर विज्ञापन आकृति का लेखन/प्रदर्शन RTO की बिना अनुमति करना	114(1)/177	-	500/-	500/-	500/-
38	शैक्षणिक संस्था की बसें पीली रंग से रंगी जायेगी	114(5)/177	-	500/-	500/-	500/-
39	वाहन में मौसम से यात्रियों का संरक्षण न करना, छत, खिड़कियां टूटी होना	168/177	-	500/-	500/-	500/-
40	वाहन के अंदर प्रकाश व्यवस्था न होना	169/177	-	500/-	500/-	500/-
41	लोक सेवा यान में अग्नि शमन यंत्र का न होना	176/177	-	500/-	500/-	500/-
42	लोक सेवा यान में स्टेपनी न होना	179/177	-	500/-	500/-	500/-
43	फर्स्ट एड बॉक्स का नहीं होना	180/177	-	500/-	500/-	500/-
44	वाहन को लुड़कने से रोकने के लिए लकड़ी के गुटके (रजिस्ट्रेशन नं. अंकन सहित)	181/177	-	500/-	500/-	500/-
45	वाहन में बैक व्यु मिरर (साईड ग्लास) न होना	191/177	500/-	500/-	500/-	500/-
46	वाहन में बैक मडगार्ड न होना	197/177	500/-	500/-	500/-	500/-
47	वाहन की बाँडी से उंचा, लंबा तथा डाला खुला होकर सामान भरा होना	208/194(1A)	रिजिड चैसिस यान में कृषी उत्पाद घरेलु सामान 1000/- तथा अन्य उत्पाद 2000/- ट्रेलर तरह के यान में कृषी उत्पाद घरेलु सामान 2000/- तथा अन्य उत्पाद 10,000/-			
48	परिचालक (अटेण्डर, क्लीनर) न होना	212/177	-	500/-	500/-	500/-

(Edited by सूबेदार शैलेन्द्रसिंह चौहान, कार्य.सउनि. बलवन्तसिंह चन्द्रावत, कार्य.प्र.आर. 34 मुकेश राठौर थाना यातायात, मन्दसौर)
नोट:- कृपया किसी भी प्रकार की त्रुटी या संशोधन के लिये थाना यातायात मन्दसौर के मो.नं.-7587633650 पर अवगत करावें।